



कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271

email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : /121 हरिद्वार,

दिनांक 21/5/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून

विषय : जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैण्डीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 2884 /FP/UK/Road/ 12985/2015, दिनांक 30.04.2019.
महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में इस वन प्रभाग की पत्र संख्या-5221/12-1, दिनांक 10.05. 2015 द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना बनाकर प्रस्तावक विभाग को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गई थी। प्रस्तावित प्रकरण में 10 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना की दर रू0 3,06,531.00 (रूपये तीन लाख छः हजार पांच सौ इक्कतीस) प्रति हैक्टेयर की दर से ही आंकलित की गई थी।

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि जो इस वन प्रभाग की चिड़ियापुर रेंज के अन्तर्गत है। उक्त भूमि की एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन रू0 10,03,478.00 मात्र आंकी गई है। इस वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 है, जो प्रस्तावित क्षेत्र के निकट के अन्य वन क्षेत्र जो कार्ययोजना के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं, के अनुसार आंकी गई है तथा आरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी खुले वन क्षेत्र के अन्तर्गत है, यह वन क्षेत्र वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है (विशेषकर हाथी, गुलदार, सांभर चित्तल आदि)।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में प्रस्तावक विभाग से क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 19,86,216.00 (रूपये उन्नीस लाख छियासी हजार दो सौ सोलह) मात्र की धनराशि को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के खाते में जमा करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 5524 / (1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-6 इन्दिरानगर, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष/फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 5221/12-1 हरिद्वार दिनांक

10/5/2019

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड-6 इन्दिरानगर, देहरादून।



विषय जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैण्डीखाता से नौरगांवाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक 2884/FP/UK/Road /12985/2015, दिनांक 30.04.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनें क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित प्रति हैक्टयर की दर (रु0 3,06,531.00) के अनुसार धनराशि जमा की जानी है। धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है):-

1-	प्रथम वर्ष अग्रिम वृक्ष कार्य 3.206 है0 दर 90600/-	रु0 2,90,463.00
2-	द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण कार्य 3.206 है0 दर 49525/-	रु0 1,58,777.15
3-	तृतीय वर्ष वर्ष से दस वर्ष रख-रखाव-3.206 है0 पर व्यय -	रु0 5,33,497.63
	योग -	रु0 9,82,737.78
		या 9,82,737/-

2- प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1- हरियाली का घनत्व- 0.3
- 2- वन भूमि की श्रेणी-ईको क्लास-III
- 3- वन भूमि का वर्तमान मूल्य (NPV) 1.603 है0/दर 6,26,000.00 प्रति है0- 10,03,478.00

अतः उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दस वर्षों तक अनुरक्षण/रख-रखाव तथा वन भूमि का वर्तमान मूल्य (NPV) कुल रु0 19,86,216.00 (उन्नीस लाख छियासी हजार दो सौ सोलह) मात्र को प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि, प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Ad-hoc. Campa) के तदर्थ खाते में आन-लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर बैंक में जमा करने का कष्ट करें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न है।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

(Mail Copy Given to A.E-II)

विवरण :- जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैण्डीखाता से नौरंगाबाद मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 1.603 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राकलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम - हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत ग्राम दूधलादयालवाला तथा गैण्डीखाता के अन्तर्गत में 3.206 है० राजस्व विभाग की बन्जर भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2000 पौध/-है० (6412 पौध)

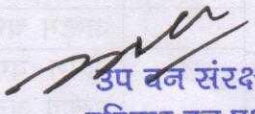
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.206 है०	150.00	480.90
2	क्षेत्र की झाड़ी कटान आदि	3.206 है०	5111.00	16385.86
3	क्षेत्र दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	3.206 है०	25850 प्रति है०	82875.10
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु खाल-चाल	ल०सं०	ल०सं०	59559.00
5	गड्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	6412 गड्ढे	11.00 प्रति गड्ढा	70532.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	3.206 है०	1080	3462.80
7	पौधों की कीमत	6412 पौध	7.98	51167.76
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर	ल०सं०	ल०सं०	5000.00
9	अन्य कार्य	ल०सं०	ल०सं०	1000.00
	योग प्रथम चरण			290463.60
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा खुदान (0.30X0.30X0.45)	6412 गड्ढे	1.85 प्रति गड्ढा	11862.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6412 पौध	2.67 प्रति पौध	17120.04
3	पौध ढुलान कार्य	6412 पौध	8.374 प्रति पौध	53694.08
4	पौध रोपण कार्य	6412 पौध	3.80 प्रति पौध	24365.60
5	निवाई-गुडाई	6412 पौध	4.95 प्रति पौध	31739.40
6	प्रथम वर्ष वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	3.206 है० 09 माह	693 प्रति है०	19995.82
7	6.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	कुल योग			158777.15
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			449240.74
	तृतीय चरण			
1	रापेण के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है० 12 माह	917 प्रति है०	35279.00
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	3.206 है०	500 रु० प्रति है०	1603.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	480.90 र०मी०	2 रु० प्रति र०मी०	961.80

	अ-प्रशिक्षण	02 संख्या	15000 प्रति संख्या	30000.00
	ब- प्रोत्साहन	लं0सं0	5000	5000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	5000	5000.00
	योग तृतीय चरण			77843.80
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	3.206 है0	300 रु0 प्रति है0	961.80
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ-प्रशिक्षण	01 संख्या	15000 प्रति संख्या	15000.00
	ब-प्रोत्साहन	लं0सं0	10000	10000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	5000	5000.00
	योग चतुर्थ चरण			71240.80
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास एवं फूस ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	3.206 है0	300 रुपये प्रति है0	961.80
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ- प्रशिक्षण	01 संख्या	15000 प्रति संख्या	15000.00
	ब- प्रोत्साहन	लं0सं0	5000	5000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	10000	10000.00
	योग पंचम चरण			66240.80
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	3.206 है0	300 रु0 प्रति है0	961.80
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—



	अ- प्रशिक्षण	02 संख्या	15000 प्रति संख्या	30000.00
	ब- प्रोत्साहन	लं0सं0	10000	10000.00
	योग षष्ठम चरण			76240.80
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ- प्रशिक्षण	01 संख्या	15000 प्रति संख्या	15000.00
	ब- प्रोत्साहन	लं0सं0	10000	10000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	5000	5000.00
	योग सप्तम चरण			65279.00
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	3.206 है0	200 रु0 प्रति है0	641.20
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ- प्रशिक्षण	02 संख्या	15000 प्रति संख्या	30000.00
	ब- प्रोत्साहन	लं0सं0	10000	10000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	5000	5000.00
	योग अष्टम चरण			80920.20
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है0 12 माह	917 प्रति है0	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	3.206 है0	200 रु0 प्रति है0	641.20
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ- प्रोत्साहन	लं0सं0	10000	10000.00
3	अन्य कार्य	लं0सं0	5000	5000.00
	योग नवम चरण			50920.20

	दशम चरण			
1	रोपण वर्ग के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.206 है० 12 माह	917 प्रति है०	35279.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	3.206 है०	200 रू० प्रति है०	641.29
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा कार्य व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	—	—	—
	अ- प्रोत्साहन	लं०सं०	5000	5000.00
3	अन्य कार्य	लं०सं०	3892.00	3892.00
	योग दशम चरण			39812.20
	कुल योग			982738.54
	या			982738.00


उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार